

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

8-7-21 वकील पञ्जकारान उपस्थित ही मूल वाद में प्रतिवादी से. 4 का नाम 'डिलीट' डिमांगना प्रभावली वास्ते बहस आर्पना पत्र 7.2 के लिए दिनांक 25.10.21 को पेश हो

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कोष वर्क में दिनांक 18/1/22 को पेश हो

25/10/21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कोष वर्क में दिनांक 18/1/22 को पेश हो

18/1/22 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में कोष वर्क पंचायत तलवाह में पेश हुई। पत्रावली दिनांक 28/2/22 को पेश हो

28/2/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जकारान उपस्थित है। श्रीमान पी.ए.के. अधिकारी महोदय वारे/ आचार्य/अन्य का कार्य में तशरिफ रखते है। पत्रावली दि 1/6/22 को पेश हो


1/6/22 वकील प्रार्थी/आचार्य/उपस्थित पत्रावली पूर्व आवेदानुसार दि. 22/9/22 को पेश हो

22/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जकारान उपस्थित है बहस आर्पना पत्र 7.2 सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/9/22 को पेश हो

29/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी की स्क्रिप्टीय बहस को सुना गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में आर्पना पत्र में वर्गित स्थितियों के दोहराया। अर्थात् 9.17 ने आर्पना पत्र के सम्बन्ध में स्क्रिप्टीय उत्तर आर्पना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा याचना में अर्थात् संख्या 17 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी गई



ही अप्रार्थी सं. 17 ने मुताबिक याचना
 प्रार्थी के अनुसार प्रार्थना पत्र न.प्र.का
 स्वीकार फरमाये जाने में सहमति व्यक्त
 की गई है अतः प्रार्थना पत्र एवं जवाब
 प्रार्थना पत्र के आधार पर ताफ़सला
 बाद अप्रार्थी सं. 17 को इस आशय
 की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद
 किया जाता है कि वह ग्राम भंवरखोल
 पटवार मण्डल तलवास्त तहसील नैनवां
 की खाता सं. नई 2 की खसरा संख्या
 329, 331, 334, 339, 586,
 2-08, 1-05, 1-09, 0-12, 1-00,
 600, 607, 625, 635, 636 कुल
 0-05, 1-08, 2-01, 0-02, 2-14
 कित 10 कुल रुकबा 13 बीघा 4 बिस्वा
 भूमि पर प्रार्थीगण के हितों की भूमि
 को हांकने जोतने से नही शेरु प्रार्थीगण
 की भूमि से बेदखल कर जबरन कब्जा
 न करें, न किसी ऐसा अन्ध से करवें।
 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया
 मसखली फैसलशुमार लेकर बाद तहसील
 दारिवल दफ्तर है मूलवाद के साथ
 संलग्न है।


उपअण्ड अधिकारी
 नैनवां (बून्दी)